न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

क्रमांक–3982 दिनांक–27.10.2025

संशोधित आदेश

मैं अर्चना गुप्ता, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–1, अलवर के पीठासीन अधिकारी दिनांक 24.10.2025 से दिनांक 21.04.2026 तक कुल 180 दिन के प्रसूति अवकाश होने से उक्त अवधि के दौरान थाना **अरावली विहार एवं मालाखेडा** के धारा **183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023** के कथन लेखबद्व करने के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व के आदेश को अतिलंघित करते हुए थाना अरावली विहार एवं मालाखेडा की हद तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न संशोधित आदेश जारी जाते है–

क्र0सं0	थाना/ क्षेत्राधिकार न्यायालय	धारा–183 बी एन एस एस के तहत लिये जाने वाले न्यायालय का नाम	कॉलम संख्या–3 के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने/मुख्यालय से बाहर होने पर	कॉलम संख्या–4 के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने/मुख्यालय से बाहर होने पर	कॉलम संख्या–5 के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने/मुख्यालय से बाहर होने पर
1	2	3	4	5	6
01	Aravali Vihar / A.C.J.M.-3	A.C.J. & J.M.-4 Alwar	A.C.J. & J.M.-3 Alwar	A.C.J. & J.M.-2 Alwar	A.C.J. & J.M.-1 Alwar
02	Malakhera/ C.J.& J.M. Malakhera	A.C.J. & J.M.-1 Alwar	A.C.J. & J.M.-2 Alwar	A.C.J. & J.M.-3 Alwar	A.C.J. & J.M.-4 Alwar

कॉलम संख्या–3 लगायत 6 तक के समस्त पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने एवं मुख्यालय से बाहर होने पर न्यायालय A.C.J.&J.M.-5, Alwar जिला अलवर द्वारा धारा–183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत बयान लेखबद्व किये जावेंगे।

उक्त संशोधित आदेश न्यायालय अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–1, अलवर के पीठासीन अधिकारी के प्रसूति अवकाश से लौटाने के उपरांत निरस्त समझा जावें।

नोट–

01. किसी प्रकरण में माल अथवा मुलजिम की शिनाख्तगी की कार्यवाही हेतु नये संशोधित प्रावधानानुसार की जावेगी। इस प्रकार के प्रार्थना–पत्र सम्बन्धित थाने के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में ही पेश किये जावेंगे और पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रार्थना–पत्र पर विचार करते हुए शिनाख्तगी की कार्यवाही उपलब्ध कार्यपालक मजिस्ट्रेट से कराने के आदेश दिए जायेंगे।

02. माननीय उच्चतम न्यायालय के एस.एल.पी.(क्रिमिनल) नम्बर 5073/11 स्टेट आफॅ कर्नाटक बनाम शिवान्ना में पारित ओदश के निर्देशानुसार एवं प्रक्रिया की सुगमता के तहत धारा–183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में लेखबद्व कथन अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश करने पर, ऐसे कथनों की प्रति अनुसंधान अधिकारी द्वारा इस आशय का घोषणा–पत्र पेश करने पर कि वह उक्त बयान में दर्ज कथन को किसी पर जाहिर नहीं करेंगे, तुरन्त अनुसंधान अधिकारी को लेखबद्व बयान की प्रति न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपलब्ध करायेगें।

03 न्यायालय–A.C.J.&J.M.-5, Alwar के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने एवं मुख्यालय से बाहर होने की स्थिति में लिंक अधिकारीण द्वारा प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जावेगां तथा महिला पीठासीन अधिकारी नहीं होने पर उस न्यायालय के लिंक पीठासीन अधिकारी के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक 02/एस.आर.ओ./2024 दिनांक 24.01.2024 के अनुसार बयान लिये जावेंगे।

04. यदि विशेष परिस्थितियों में उपरोक्त व्यवस्थानुसार कार्य करना सम्भव न हो तो इसके सम्बन्ध में पृथक से प्रार्थना–पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

05. इस आदेश से पूर्व थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रो का निस्तारण पूर्व आदेश के अनुसार ही निस्तारित किये जायेंगे।

06. भविष्य में कॉलम नम्बर 3 लगायत 4 में अंकित पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने पर उनके स्थान पर मेल पीठासीन अधिकारी का पदस्थापन होने पर आगामी कॉलम अनुसार बयान लेखबद्व किये जावेंगे।

07. उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

अर्चना दुसा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

अलवर